दिनांक 23.01.2024 को माननीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में आहूत बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना की बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति :-

1. न्यायमूर्त्ति श्री अनंता मनोहर बदर, माननीय अध्यक्ष – उपस्थित।
2. श्री उज्ज्वल कुमार दुबे, माननीय सदस्य – उपस्थित।
3. श्री शशि शेखर शर्मा, माननीय सदस्य – उपस्थित।

09/CH
01/2/24

विचारणीय विषय/एजेन्डाः-

1. आयोग की दिनांक 09.01.2024 की बैठक में लिए गये निर्णयों की सम्पुष्टि।
2. श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह, निबंधक के पक्ष में महालेखाकार, बिहार के कार्यालय द्वारा निर्गत दो वेतन-पर्ची के आलोक में क्रमशः दिनांक-09.09.2020 से लेकर दिनांक-08.09.2023 तक की अवधि के उनके वेतनादि की अंतर राशि तथा दिनांक-17.11.2023 को निबंधक के पद पर पुनः योगदान के पश्चात् से अद्यतन वेतनादि का भुगतान।
3. श्री उज्ज्वल कुमार दुबे, माननीय सदस्य, बिहार मानवाधिकार आयोग के संबंध में बिहार विधान सभा के एक माननीय सदस्य (पूर्व मंत्री), डॉ0 आलोक रंजन, के लेटर पैड व उनके हस्ताक्षर की जालसाजी कर, उसकी छाया प्रति के आधार पर आयोग सचिवालय द्वारा, आयोग/आयोग के माननीय अध्यक्ष के अनुमति/सहमति/अनुमोदन के बिना ही, स्वयं अपने स्तर से, Suo Moto, मनमाना, विधिविरूद्ध तथा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर, उस जाली पत्र (छाया प्रति) पर मनमाना कार्रवाई प्रारंभ करने तथा आयोग के माननीय अध्यक्ष के दिनांक-03.11.2023 के आयोग सचिवालय को दिये गये आदेश का उल्लंघन कर, आयोग के संयुक्त सचिव, श्री महेश कुमार दास, के द्वारा दिनांक 06.11.2023 को, बिहार विधान सभा के माननीय सदस्य (पूर्व मंत्री), डॉ0 आलोक रंजन से अनावश्यक पत्राचार करना।
4. माननीय पटना उच्च न्यायालय में विचाराधीन लंबित CWJC संख्या-17477 of 2023 (प्रिंस कुमार मिश्रा, अधिवक्ता, बनाम् बिहार राज्य एवं अन्य) में माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक-12.12.2023 को पारित आदेश के अनुपालन में आयोग के सचिव की ओर से तथ्य विवरणी/प्रतिशपथ-पत्र दाखिल करना।
5. श्री कृपाल चन्द्र जायसवाल (पुलिस निरीक्षक), तत्कालीन लोक सूचना पदाधिकारी, बिहार मानवाधिकार आयोग के द्वारा आयोग में दिनांक-23.09.2021 से दिनांक-31.03.2022 तक तथा पुनः दिनांक-01.04.2022 से दिनांक-01.08.2022 तक किये गये कार्यों की, आयोग के स्तर से वार्षिक गोपनीय अभियुक्ति का अभिलेखन।

लगातार...पृ0-02

6. आयोग के दिनांक–19.12.2023, दिनांक–20.12.2023, दिनांक–21.12.2023, दिनांक–08.01.2024 तथा दिनांक–09.01.2024 को संपन्न बैठकों के संबंध में आयोग सचिवालय द्वारा समर्पित किये गये अनुपालन प्रतिवेदनों की समीक्षा।
7. माननीय अध्यक्ष की अनुमति से अन्यान्य विषय।

निर्णय :–

1. आयोग की दिनांक–09.01.2024 को संपन्न बैठक में लिये गये निर्णयों की सम्पुष्टि की जाती है।
2. श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह, निबंधक के वेतन भुगतान से संबंधित आयोग के माननीय अध्यक्ष को समर्पित उनके पत्र के आलोक में आयोग सचिवालय द्वारा उससे सम्बन्धित संचिका सं0–BHRC/स्था0–09/2020 उपलब्ध कराया गया। संचिका के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि श्री सिंह, के पक्ष में महालेखाकार, बिहार के कार्यालय द्वारा दो वेतन पर्ची निर्गत किया गया है। एक वेतन पर्ची संख्या–061223070036 91(पृ0–91/प0), उनके दिनांक–09.09.2020 से लेकर दिनांक–08.09.2023 तक की अवधि (पूर्व कार्यकाल) के वेतनादि की अंतर राशि के भुगतान से संबंधित है जबकि दूसरा वेतन पर्ची संख्या–211223070038 82 (पृ0–102/प0), श्री सिंह के दिनांक–17.11.2023 को निबंधक के रूप में किए गये पुर्नयोगदान की तिथि से नियमित वेतनादि के भुगतान से संबंधित है।

   उक्त संचिका के टिप्पणी के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि श्री सिंह, के ~~नाम~~ पक्ष में महालेखाकार, बिहार के कार्यालय के द्वारा निर्गत उपरोक्त वेतन पर्ची के आलोक में न तो पूर्व कार्यकाल के वेतनादि की अंतर राशि का भुगतान किया गया है और न ही उनके दिनांक 17.11.2023 को पुनः निबंधक के पद पर योगदान दिये जाने के बाद से वेतनादि का ही भुगतान किया जा रहा है तथा आयोग सचिवालय द्वारा उक्त भुगतान के सम्बन्ध में अपने पदीय कर्त्तव्यों का अपेक्षित निर्वहन नहीं कर, बिना आयोग/आयोग क माननीय अध्यक्ष की अनुमति/सहमति/अनुमोदन से, भुगतान में यथासम्भव विलम्ब करने के उद्देश्य से उक्त वेतन पर्ची पर भुगतान के सम्बन्ध में गृह (विशेष) विभाग, बिहार से अनावश्यक व नियमविरूद्ध पत्राचार (पृ0–100/प0) किया गया है।

लगातार...पृ0–03

आयोग सचिवालय के उक्त अमानवीय कृत्य पर घोर आपत्ति प्रकट कर इसे दुराशयपूर्ण भावना से की गई कारवाई मानकर इस संबंध में निम्न निर्णय लिया गयाः–

(i) आयोग के संयुक्त सचिव द्वारा विशेष सचिव, गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना को भेजे गये पत्र (पृष्ठ–100/प0) से संबंधित प्रस्ताव पर आयोग/आयोग के माननीय अध्यक्ष की सहमति/अनुमति नहीं लिये जाने के कारण, उक्त पत्र को नियमविरूद्ध पाकर इसे निरस्त किया जाता है।

(ii) आयोग सचिवालय को यह निर्देश दिया जाता है कि महालेखाकार, बिहार के कार्यालय द्वारा श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह, निबंधक, के पक्ष में निर्गत उपरोक्त दोनों वेतन पर्ची का सम्मान/अनुपालन करते हुए तीन दिनों के अंदर, श्री सिंह, निबंधक, के पूर्व कार्यकाल के वेतनादि की अंतर राशि तथा पुर्नयोगदान के बाद के सभी बकाया वेतनादि का भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(iii) मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के प्रावधानों तथा उक्त प्रावधान के आलोक में स्वयं आयोग के माननीय अध्यक्ष के दिनांक–03.11.2023 को निर्गत आदेश का उल्लंघन कर, संयुक्त सचिव, बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना द्वारा गृह विभाग को भेजे गये पत्र (पृ0–100/प0) पर, संयुक्त सचिव से उनसे स्पष्टीकरण की मांग कर, उक्त स्पष्टीकरण पर, आयोग के सचिव के मंतव्य के साथ अग्रेतर कार्रवाई हेतु आयोग की अगली बैठक में उसे उपस्थापित किया जाय।

3. आयोग के माननीय सदस्य, श्री उज्ज्वल कुमार दुबे के विरूद्ध, बिहार विधान सभा के एक माननीय सदस्य (पूर्व मंत्री), डॉ0 आलोक रंजन (माननीय विधायक) के लेटर पैड तथा उनके हस्ताक्षर की जालसाजी कर, उक्त जाली लेटर पैड की छाया प्रति से संबंधित संचिका सं0– BHRC/स्था0–25/2023 का अवलोकन किया गया। उक्त संचिका के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि माननीय विधायक के जाली हस्ताक्षरित उनके नाम के लेटर पैड की छाया प्रति (पृ0–402/प0) पर श्री महेश कुमार दास, तत्कालीन उप सचिव, बिहार मानवाधिकार आयोग द्वारा स्वयं अपने स्तर से हीं, अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को शीघ्र अग्रेतर कार्रवाई प्रारंभ करने का निर्देश देकर, उक्त जाली पत्र पर महालेखाकार, बिहार के कार्यालय/अन्य प्राधिकार के साथ, बिना आयोग/आयोग के माननीय अध्यक्ष के सहमति/अनुमोदन से,

लगातार...पृ0–04

पत्राचार (पृष्ठ–408/प0) किया गया।

जब उनके लेटर पैड व हस्ताक्षर के जालसाजी किए जाने सम्बन्धी तथ्य की जानकारी माननीय विधायक, डॉ0 आलोक रंजन, को हुई तो उनके द्वारा, उनके नाम वाले लेटर पैड तथा उक्त लेटर पैड पर उनके हस्ताक्षर को स्पष्ट रूप से जाली बताते हुए मुख्य सचिव, बिहार, को पर मुख्य सचिव, गृह, आयोग के सचिव व तत्कालीन उप सचिव को पत्र (पृ0–406/प0) भेजकर यह सूचित किया गया कि उनके नाम के लेटर पैड का किसी जालसाज द्वारा दुरूपयोग करते हुए, आयोग के माननीय सदस्य, श्री उज्ज्वल कुमार दुबे, को अपमानित करने के उद्देश्य से उनके लेटर पैड व उनके हस्ताक्षर की जालसाजी की गई है। उनके द्वारा अपने उक्त पत्र में इस जालसाजी में आयोग के ही किसी पदाधिकारी की संलिप्तता का भी अभिकथन किया गया। माननीय विधायक द्वारा उनके द्वारा आयोग से इस जालसाजी की जांच करवाने तथा आयोग के दोषी पदाधिकारी के विरूद्ध कार्रवाई करने का भी अपने उक्त पत्र में अनुरोध किया गया। लेकिन आयोग के वर्तमान संयुक्त सचिव, श्री महेश कुमार दास, द्वारा जालसाजी की जांच व इस जालसाजी में संलिप्त आयोग के दोषी पदाधिकारी के विरूद्ध कार्रवाई करने से सम्बन्धित अनुरोध को अनदेखा कर, उल्टे माननीय विधायक से ही उनके पत्र पर स्पष्टीकरण की मांग से संबधित पत्र (पृ0–408/प0) निर्गत किया गया, जिसके प्रत्युत्तर (पृ0–497/प0) में माननीय विधायक द्वारा पुनः इस बात को दुहराया गया कि उनके नाम व हस्ताक्षर वाले लेटर पैड (पृ0402/प0) में उल्लेखित तथ्यों/कथनों से उनका कोई सरोकार नहीं है तथा वह आयोग के माननीय सदस्य, श्री दुबे, को जानते तक नहीं है। माननीय विधायक द्वारा उनसे स्पष्टीकरण की मांग से संबंधित संयुक्त सचिव के पत्र (पृ0–408/प0) पर नाराजगी व्यक्त करते हुए, पुनः आयोग से इस जालसाजी की जांच कराने तथा इस जालसाजी में संलिप्त आयोग के दोषी पदाधिकारी के विरूद्ध कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया। उल्लेखनीय है कि इस पूरे प्रकरण में आयोग/आयोग के माननीय अध्यक्ष/माननीय सदस्य श्री दुबे, को अंधेरे में रखकर, आयोग के मोनोग्राम वाले पत्र से, अपने स्तर से आयोग सचिवालय द्वारा कार्रवाई/पत्राचार की गई है जिसका एक मात्र उद्देश्य, आयोग व आयोग के माननीय सदस्य, श्री उज्ज्वल कुमार दुबे की प्रतिष्ठा को, लोगों की नजर में गिराना तथा आयोग व माननीय सदस्य को अपमानित करना है।

लगातार...पृ0–05

आयोग सचिवालय के उपरोक्त मनमाने, अनैतिक, अवैध क्षेत्राधिकार विहीन, अवज्ञाकारी व दुराशयपूर्ण कृत्य को गंभीरता से लेते हुए निम्नलिखित निर्णय लिया गया:–

(i) बिहार विधान सभा के माननीय सदस्य (पूर्व मंत्री), डॉ0 आलोक रंजन (माननीय विधायक) के उपरोक्त कथित जाली लेटर पैड (पृष्ठ–402/प0) के आधार पर आयोग सचिवालय द्वारा की गई/की जा रही समस्त कार्रवाई/प्रस्ताव/निर्गत सभी पत्रों को निरस्त किया जाता है।।

(ii) माननीय विधायक, डॉ0 आलोक रंजन, के दोनों पत्रों (पृ0–406/प0 तथा पृ0–497/प0) में किये गये अनुरोधका सम्मान करते हुए माननीय विधायक, के नाम/हस्ताक्षर वाले जाली पत्र (पृ0–402/प0) की जालसाजी में आयोग सचिवालय के पदाधिकारी/कर्मचारी की संलिप्तता के संबंध में आयोग के स्तर से जांच हेतु, आयोग के अपर पुलिस महानिदेशक की अध्यक्षता में एक द्वि–सदस्यीय जांच समिति का गठन किया जाता है जिसके शेष एक सदस्य, आयोग के निबंधक होंगे। इस द्वि–सदस्यीय जांच समिति को निर्देश दिया जाता है कि प्रसंगाधीन जालसाजी में संलिप्त आयोग के पदाधिकारी/कर्मचारी की संलिप्तता/भूमिका के संबंध में, **एक माह** की समय–सीमा के अंदर, जांच कर, जांच प्रतिवेदन आयोग को समर्पित किया जाना सुनिश्चित करें। आयोग के सचिव को यह निर्देश दिया जाता है कि उक्त द्वि–सदस्यीय जांच समिति को इस जांच में आयोग सचिवालय द्वारा सभी अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जाय तथा जांच समिति को इस जांच में उनके द्वारा वांछित सभी कागजात/संचिका को अविलंब उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करे। सचिव, तत्संबंधी कार्यालय आदेश निर्गत करें।

(iii) ऐसा देखा जा रहा है कि आयोग के वर्तमान, संयुक्त सचिव, श्री महेश कुमार दास, द्वारा बिना आयोग/आयोग के माननीय अध्यक्ष की सहमति/अनुमोदन के, गृह विभाग, बिहार/सरकार के अन्य विभाग/प्राधिकार/व्यक्ति वगैरह से, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम–1993 (यथासंशोधित) के प्रावधानों का लगातार उल्लंघन कर, मनमाना पत्राचार किया जा रहा है, जिसमें अधिकांश में उनके द्वारा यह उल्लेखित किया जाता है कि उक्त पत्राचार, आयोग के सचिव, के सहमति/अनुमति/अनुमोदन से निर्गत किया जा रहा है। उपरोक्त अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के प्रावधानानुसार, आयोग के सचिव, आयोग के मात्र मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी (Chief Executive Officer) हैं तथा उन्हें आयोग/आयोग के माननीय अध्यक्ष के अनुमति/सहमति/अनुमोदन पर ही अपना सभी कार्य करना है। भविष्य में अगर आयोग सचिवालय के किसी पदाधिकारी द्वारा, किसी भी मामले,

लगातार...पृ0–06

में बिना आयोग/आयोग के माननीय अध्यक्ष की सहमति/अनुमति/अनुमोदन के सरकार के किसी विभाग/प्राधिकार/व्यक्ति से कोई भी पत्राचार किया जाता है तो इस कार्रवाई को अवैध, क्षेत्राधिकारविहीन, अवज्ञाकारी व Insubordination की कार्रवाई पाकर, दोषी पदाधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारंभ करने हेतु, उनके सक्षम प्राधिकार से, आयोग/आयोग के माननीय अध्यक्ष द्वारा अनुशंसा कर दी जायेगी। सचिव, इस सम्बन्ध में कार्यालय आदेश निर्गत करें।

(iv) आयोग के संयुक्त सचिव, को आयोग के आंतरिक पत्राचार/पीठ के आदेश के अनुपालन से सम्बन्धित पत्र को छोड़कर, आयोग के बाहर, सरकार के किसी भी विभाग/किसी भी प्राधिकार/किसी भी व्यक्ति से, आयोग के सम्बन्ध में किसी भी तरह का पत्राचार किए जाने से तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है। सचिव, तत्काल तत्त्सम्बन्धी कार्यालय आदेश निर्गत करे।

4. माननीय पटना उच्च न्यायालय में लंबित CWJC संख्या–17477 of 2023 (प्रिंस कुमार मिश्रा, अधिवक्ता, बनाम् बिहार राज्य एवं अन्य) में माननीय पटना उच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक–12.12.2023 को पारित आदेश के आलोक में वांछित आयोग के सचिव की ओर से दाखिल होने वाली तथ्य विवरणी/प्रतिशपथ पत्र तैयार करने हेतु, आयोग के माननीय सदस्य, श्री उज्ज्वल कुमार दुबे, की अध्यक्षता में एक समिति के गठन का निर्णय लिया जाता है, जिसके अन्य दो सदस्य, आयोग के सचिव व आयोग के निबंधक, होंगे। इस समिति से यह अनुरोध किया जाता है कि दिनांक 30.01.2024 के पूर्व तक वांछित तथ्य विवरणी/प्रतिशपथ पत्र तैयार कर आयोग के माननीय अध्यक्ष के समक्ष अनुमोदनार्थ उपस्थापित किया जाय। आयोग के माननीय अध्यक्ष के अनुमोदनोपरान्त आयोग के माननीय अध्यक्ष को आयोग की ओर से दाखिल होने वाले तथ्य विवरणी/प्रतिशपथ पत्र को अनुमोदनार्थ प्राधिकृत किया जाता है। आयोग के निबंधक, श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह, द्वारा अनुमोदित तथ्य विवरणी/प्रतिशपथ पत्र के आधार पर विद्वान महाधिवक्ता, बिहार, पटना से संपर्क स्थापित कर शीघ्रताशीघ्र प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

5. श्री कृपाल चन्द्र जायसवाल (पुलिस निरीक्षक), तत्कालीन लोक सूचना पदाधिकारी, बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना के द्वारा माननीय अध्यक्ष को समर्पित अभ्यावेदन के आलोक में आयोग सचिवालय द्वारा इससे सम्बन्धित संचिका संख्या–BHRC/स्था0–09/2021 उपस्थापित की गई। श्री जायसवाल द्वारा दिनांक–23.09.2021 से दिनांक–31.03.2022 तक तथा पुनः दिनांक–01.04.2022 से दिनांक–01.08.2022 तक, उनके द्वारा आयोग में किये गये कार्यो

लगातार...पृ0–07

का वार्षिक गोपनीय अभियुक्ति के अभिलेखन का अनुरोध किया गया है। श्री जायसवाल, का कथन है कि निकट भविष्य में उनकी प्रोन्नति संभावित है। सम्बन्धित संचिका के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि श्री जायसवाल, के द्वारा आयोग कार्यालय में किये गये कार्यो के संबंध में वार्षिक गोपनीय अभियुक्ति के अभिलेखन का मामला विगत करीब एक वर्ष से भी अधिक समय से, आयोग सचिवालय में विचाराधीन/लम्बित है। संचिका के अवलोकन से यह भी प्रतीत होता है कि जब आयोग सचिवालय/सचिवालय कार्यालय द्वारा वार्षिक गोपनीय अभियुक्ति के अभिलेखन से संबंधित प्रस्ताव, आयोग के सचिव के समक्ष उपस्थापित किया गया तो सचिव द्वारा संचिका के (पृष्ठ–45/टि0) पर यह टिप्पणी की गई ''इनका ACR किस स्तर से अभिलिखित किया जायेगा, के संदर्भ में गृह विभाग से मार्गदर्शन प्राप्त किया जाय।''(पृष्ठ–45/टि0)

आयोग के मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी/सचिव से कम से कम इस बात की जानकारी अपेक्षा की जा सकती है कि जो कर्मचारी/पदाधिकारी, जिस अवधि में, जिस संस्था/विभाग/पदाधिकारी के अधीनस्थ कार्यरत हैं, उस अवधि की वार्षिक गोपनीय अभियुक्ति का अभिलेखन, उसी संस्था/विभाग/पदाधिकारी द्वारा ही किया जाना है। आयोग के सचिव के उपरोक्त पृष्ठांकन (पृष्ठ–45/टि0) से यह प्रतीत हो रहा है कि उनके द्वारा अकारण या विद्वेश की भावना से अपने अधीनस्थ कार्यरत, एक कर्मचारी के वार्षिक गोपनीय अभियुक्ति के अभिलेखन में टालमटोल रवैया अपनाया जा रहा है जिससे कि उसकी प्रोन्नति को प्रभावित किया जा सके। आयोग के सचिव के इस कृत्य पर आपत्ति प्रकट किया जा रहा है तथा यह निर्णय लिया गया कि श्री कृपाल चन्द्र जायसवाल (पुलिस निरीक्षक), तत्कालीन लोक सूचना पदाधिकारी, बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना के आयोग कार्यालय में किये गये कार्यावधि का वार्षिक गोपनीय अभियुक्ति का अभिलेखन, निबंधक, बिहार मानवाधिकार आयोग द्वारा यथाशीघ्र करते हुए, कृत कार्रवाई से माननीय अध्यक्ष को अवगत कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

6. आयोग सचिवालय द्वारा आयोग के दिनांक–19.12.2023, दिनांक–20.12.2023, दिनांक–21.12.2023, दिनांक–08.01.2024 एवं दिनांक–09.01.2024 को संपन्न बैठकों में लिये गये निर्णयों के संबंध में समर्पित किये गये समस्त अनुपालन प्रतिवेदनों को राज्य आयोग द्वारा उसे असंतोषजनक, अस्पष्ट, अधूरा पाकर, इसे अस्वीकार किया जाता है। आयोग सचिवालय को चेतावनी दी जाती है कि इस तरह के अधूरे अनुपालन प्रतिवेदन को भविष्य में आयोग के समक्ष प्रस्तुत

लगातार...पृ0–08

नहीं किया जाय। माननीय सदस्य, श्री शशि शेखर शर्मा द्वारा यह आपत्ति व्यक्त की गई कि आयोग की बैठक की तिथि निर्धारित किये जाने के युक्तिसंगत समय के पूर्व, आयोग सचिवालय द्वारा, आयोग की बैठकों में लिये गये निर्णयों का अनुपालन प्रतिवेदन तथा आयोग की प्रस्तावित बैठक की एजेंडा से संबंधित, सभी सुसंगत कागजातों की प्रति, आयोग के माननीय सदस्यों को उपलब्ध नहीं करायी जाती है, जिस कारण एजेंडे पर विचार कर, उस पर निर्णय लेने में आयोग को कठिनाई होती है।

उक्त के आलोक में निम्नलिखित निर्णय लिया गया:-

(i) आयोग की दिनांक-19.12.2023 से लेकर दिनांक-23.01.2024 तक के सभी बैठकों में लिये गये प्रत्येक निर्णय का कंडिकावार अनुपालन प्रतिवेदन (प्रत्येक कंडिका पर आयोग सचिवालय द्वारा कृत कार्रवाई से संबंधित सभी कागजातों की प्रति को अनुपलग्नित कर) एक सप्ताह के अंदर, आयोग के सभी माननीय सदस्यों के कोषांग को उपलब्ध कराया जाय तथा भविष्य में ईसी तरह आयोग की बैठकों में लिये गये निर्णयों का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाय। सचिव, तद्नुरूप आदेश निर्गत करे।

(ii) आयोग के बैठक के प्रस्तावित प्रत्येक एजेंडा से सम्बन्धित सभी relevent कागजातों की प्रति, आयोग के बैठक के पूर्व, आयोग के सभी सदस्यों के कोषांग को, युक्तिसंगत समय के पूर्व, उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय। सचिव, तद्नुसार आदेश निर्गत करे।

(iii) ऐसा देखा जा रहा है कि आयोग की ओर से निर्गत पत्राचारों में मात्र प्रेषक के पदनाम का ही उल्लेख किया जा रहा है, जो उचित नहीं है। अतः आयोग के स्तर से जो भी पत्राचार किया जाता है, उस प्रत्येक पत्राचार में प्रेषक के पदनाम के साथ साथ प्रेषक का स्पष्ट नाम भी अभिलिखित किया जाना सुनिश्चित किया जाय। सचिव, तदनुसार आदेश निर्गत करे।

बैठक की कार्यवाही सधन्यवाद समाप्त की गयी।

ह0/-	ह0/-	ह0/-
(श्री शशि शेखर शर्मा)	(श्री उज्ज्वल कुमार दुबे)	(न्यायमूर्त्ति श्री अनंता मनोहर बदर)
माननीय सदस्य	माननीय सदस्य	माननीय अध्यक्ष

ज्ञापांकः बी0एच0आर0सी0/स्था0–26/2013 ......1333 पटना, दिनांक ..2/2/24

प्रतिलिपि : माननीय अध्यक्ष कोषांग/माननीय सदस्यगण कोषांग/सचिव कोषांग/अपर पुलिस महानिदेशक कोषांग/ संयुक्त सचिव कोषांग/निबंधक कोषांग, बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

2. अवर सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी (स्थापना)/प्रशाखा पदाधिकारी (लेखा एवं आपूर्ति)/प्रशाखा पदाधिकारी (परिवाद) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. सुश्री सुप्रिया कुमारी, आई0टी0 प्रबंधक, को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ।

02/2/2024

संयुक्त सचिव
बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना